(उन्नीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–20 के परिशिष्ट–6.20 के पश्चात अनुक्रमांक–21 को परिशिष्ट–6.21 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे अर्थात :–

राज्य के स्टार्ट–अप इकाईयों के लिए पैकेज :–

औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक–12 के अंतर्गत राज्य में स्टार्ट–अप एकक/इकाईयों (सेवा एवं विनिर्माण) की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये विशिष्ट पैकेज तैयार किया गया है जो कि ***परिशिष्ट–6.21*** *के रूप में निम्नानुसार है:–*

परिशिष्ट–"6.21"

छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट अप पैकेज

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत ***"स्टार्ट अप पैकेज"*** *को नियमानुसार लागू करता है :–*

1. ***परिभाषाएं :–***

स्टार्टअप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी एकक/इकाई को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जायेगा :–

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।

(ख) निगमीकरण/पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक/इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ग) यदि यह उत्पादों या प्रकियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एकक/इकाई को 'स्टार्ट अप' नहीं माना जाएगा।

2 ***स्पष्टीकरण :–***

1. *कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रूपये से अधिक होने पर "स्टार्ट अप" के रूप में नहीं माना जाएगा।*

2. *एकक/इकाई का अर्थ है – कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत् पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत)।*

3. *कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित* ***(भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषा में किये जाने वाले संशोधन सहित)*** *किए अनुसार मान्य होगी।*

4. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही मान्य किया जाएगा।

5. औद्योगिक नीति 2019–24 में दिए गये प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के तहत् स्टार्टअप पैकेज लागू किया जाता है तथा ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 के तहत् निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :–

1. **ब्याज अनुदान :–**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	7	50	20
	ब	8	50	25
	स	9	60	35
	द	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	6	35	35
	ब	7	40	45
	स	9	60	55
	द	11	70	55

2. **स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–**

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू लाख में)
सूक्ष्म उद्योग	अ	35	15
	ब	40	18
	स	45	20
	द	55	24

3. **नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति–**
(केवल लघु, मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु)

क्षेत्र की श्रेणी	प्रतिपूर्ति का विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत

द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

4. **विद्युत शुल्क छूट :–**

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

5. भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

6. सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

7 (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 05 लाख।

(3) तकनीकी पेटेंट अनुदान– पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।

(5) औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राषि रू 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

(6) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठी/प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15,000/– एवं देश के बाहर रू. 30,000/– तथा रू. 1,00,000/– प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी।

8. उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू–प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट ।

9. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षों के लिये श्रम कानूनों में Self Certification के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी।

10. स्टार्टअप पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :–

10.1 **किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले **स्टार्ट अप इकाईयों** को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराए के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी।

10.2 **इनक्यूबेशन हेतु किराया अनुदान** – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का

किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रू. 8/– प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि रू. 8,000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी।

11. स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान :–

11.1 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर मे किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) मे किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू 03 लाख प्रति वर्ष।

12. राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।

13. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात् पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी।

14. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को विभिन्न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष संपर्क हेतु उद्योग संचालनालय में स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकाईयों को सहायता करेगा।

15. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

16. स्टार्टअप एकक/इकाईयों की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपार्श्विक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है।

17. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैंप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इन्क्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

18. प्रदेश में स्टार्ट अप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिए समय–समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्ट अप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो।

19. प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्ट अप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा।

20. स्टार्ट अप इकाईयों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का

प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके।

21. उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।

22. इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्ट अप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।

23. इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्ट अप इकाईयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो।

24. इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी।

25. पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रकियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।

(बीस) उक्त अधिसूचना की कंडिका 15 के अनुक्रमांक 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–21 के परिशिष्ट–6.21 के पश्चात अनुक्रमांक–22 को परिशिष्ट–6.22 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे तथा कंडिका–15.4 में "अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी" को विलोपित किया जावे अर्थात :–

परिशिष्ट–"6.22"

औद्योगिक नीति 2019–24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज

औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 8 के पश्चात् अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में निम्नानुसार परिशिष्ट 9 जोड़ा जाये –

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 में निर्धारित नियमानुसार, पात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जावेंगी :–

(6.22.1) ब्याज अनुदान *:– पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा : –*